न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–47/2021

कर्मचारी महतो एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

लालसा महतो उर्फ कैलाश महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
15.11.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 07.11.2023 अंदर आदेश 39 नियम 01 और 02 और धारा 151 व्य0 प्र0 सं0 के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 15.11.2025 को आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद में मुदईयान के द्वारा मद नं0–02 नालिश की एराजी के निस्वत मुकम्मिल बंटवारा के लिए दाखिल किया गया है। बंटवारा तलब एराजी का पूरा विवरण नालिश के अंत में मद नं0–02 में दिया गया है। मद नं0–02 नालिश की बंटवारा तलब एराजी के मुताबिक इस निषेधाज्ञा आवेदन के अंत में मद नं0–'क' में विवरण दिया जा रहा है। इस मुकदमा में मुदालह नं0–01 (मुदालह प्रथम पक्ष) उपस्थित हो चुका है तथा अपना ब्यान तहरीरी भी दाखिल कर चुके है जो अभिलेख पर है। मुदालह प्रथम पक्ष के द्वारा सही तथ्यों को छुपाते हुए गलत तथ्यों के आधार पर ब्यान तहरीरी दाखिल किया गया है। मुदालहम द्वितीय पक्ष की उपस्थिति के लिए निबंधित डाक से सम्मन भेजा जा चुका है लेकिन जानबुझकर इस मुकदमा की जानकारी के बावजूद उपस्थित नहीं हो रहे है एवं मुदालहम प्रथम पक्ष के साथ मिलजुलकर बंटवारा तलब एराजी की वस्तुस्थिति में परिवर्तन करने के फिराक में है। मुदालहम आपस में मेल और साजिश के रहते हुए मद नं0–'क' आवेदन की एराजी की बिक्री करने की बातचीत कर रहे है। यदि मुदालहम बंटवारा तलब एराजी की बिक्री दबंग, मुँहजोर एवं मुकदमेबाज व्यक्तियों से कर देते है तो बैयदार दखल–कब्जा करने के लिए झगड़ा फसाद कर सकते है। लिहाजा ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो इसके लिए निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–47/2021</u>

कर्मचारी महतो एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

लालसा महतो उर्फ कैलाश महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 15.11.2025	वाद भूमि की वस्तुस्थिति यथावत बनाए रखना न्यायोचित है। मुदईयान को जानकारी मिली है कि बैयदार जमीन खरीदने के बाद खरीदगी भूमि पर ताजबरदस्ती मुँहजोरी के बल पर बनावट खड़ा करेंगे। ऐसी स्थिति में वाद भूमि की वस्तुस्थिति बदलने से मुदालहम को रोकना न्यायहित की सुरक्षा हेतु काफी आवश्यक है। मन मुदईयान के पक्ष में प्रथम दृष्टि मजबूत वाद है तथा सुविधा की तुला भी मन मुदईयान के पक्ष में है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मुदईयान के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन को स्वीकार करते हुए मुदालहम को मद नं0–क की एराजी के निस्वत किसी तरह का विक्रय विलेख निस्पादित करने से तथा किसी प्रकार का कोई बनावट खड़ा करने से इस मुकदमा के अंतिम निपटारे तक रोक दिया जाए। प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा वादीगण के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 12.01.2024 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि वादीगण का आवेदन न्यायोचित नहीं है और खारिज होने योग्य है। प्रस्तुत वाद में दी गई भूमि का कुल रकबा 15 कट्ठा 18 धुर है, जिसमें वादीगण अपने ½ हिस्सा के लिए यह मुकदमा दाखिल किया है। वादीगण ने वाद पत्र के मद सं0–01 में गलत वंशवृक्ष देकर अपने आप को खतियानी रैयत का वंशज साबित करने का प्रयास किया है जो गलत एवं गैरकानूनी है। वादीगण द्वारा दाखिल वाद पत्र में वर्णित भूमि जो मौजा–सतवरिया, खाता सं0–128, खेसरा सं0–750, रकबा 00–15–2018 है जिसमें से बहुत सारी भूमि खतियानी रैयत के वंशज लालसा महतो उर्फ कैलाश महतो के द्वारा बहुत पूर्व बिक्री किया गया है जिसपर उनके बयदार का दखल–कब्जा, फुस के घर के रूप में है, जिसपर बयदार का फुस का घर, नाँद–खुँटा, घोठा–घारी के रूप में और बाकी भूमि खेती के रूप में कई वर्षो से खरीदगी के दिन से चला आ रहा है और शेष भूमि पर	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–47/2021</u>

कर्मचारी महतो एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

लालसा महतो उर्फ कैलाश महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 15.11.2025	प्रतिवादी सं0–01 का दखल–कब्जा चला आ रहा है। इन सारे तथ्यों की जानकारी रखते हुए वादीगण द्वारा साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए यह आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। वादीगण द्वारा अपने आवेदन पत्र में वादग्रस्त भूमि जो 15 कट्ठा 18 धुर है के किस अंश पर अधिवक्ता आयुक्त से जाँच कराना चाहते है, यह स्पष्ट नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि के यथास्थिति की कोई जानकारी नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का उपरोक्त आवेदन विशेष खर्चे के साथ खारिज करने की कृपा की जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा दिनांक 07.11.2023 को आदेश 39 नियम 01 और 02 और धारा 151 व्य0 प्र0 सं0 के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया है कि मुदालहम को मद नं0–क की एराजी के निस्वत किसी तरह का विक्रय विलेख निस्पादित करने से तथा किसी प्रकार का कोई बनावट खड़ा करने से इस मुकदमा के अंतिम निपटारे तक रोक दिया जाए। वादीगण के आवेदन के जवाब में प्रतिवादी सं0–01 की ओर से दिनांक 12.01.2024 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि वादीगण ने वाद पत्र के मद सं0–01 में गलत वंशवृक्ष देकर अपने आप को खतियानी रैयत का वंशज साबित करने का प्रयास किया है। जो गलत एवं गैरकानूनी है। वादीगण द्वारा दाखिल वाद पत्र में वर्णित भूमि जो मौजा–सतवरिया, खाता सं0–128, खेसरा सं0–750, रकबा 00–15–2018 है जिसमें से बहुत सारी भूमि खतियानी रैयत के वंशज लालसा महतो उर्फ कैलाश महतो के द्वारा बहुत पूर्व बिक्री किया गया है जिसपर उनके बयदार का दखल–कब्जा, फुस के घर के रूप में है, जिसपर बयदार का	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–47/2021</u>

कर्मचारी महतो एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

लालसा महतो उर्फ कैलाश महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 15.11.2025	फुस का घर, नाँद–खुँटा, घोठा–घारी के रूप में और बाकी भूमि खेती के रूप में कई वर्षो से खरीदगी के दिन से चला आ रहा है और शेष भूमि पर प्रतिवादी सं0–01 का दखल–कब्जा चला आ रहा है। अभिलेख पर अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट मौजूद है। अधिवक्ता आयुक्त के रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश भाग पर मसूर की फसल लगी हुई पाई गई है। अन्य भाग में उत्तर की तरफ आम का पेड़, पुरब दक्षिण तरफ ईट की दीवार पर टीन शेड का घर है जिसमें नाद, खूंटा, बखार नल और भैंस थी। यह बंटवारा वाद है तथा वादी एवं प्रतिवादी दोनों पक्ष वाद भूमि पर अपना–अपना दावा करते है। अभिलेख अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि विवादित भूमि एवं मकान के बिक्री से संबंधित खरीददार का कोई प्रमाण अभिलेख पर मौजूद नहीं है। वादीगण के आवेदन से प्रथम दृष्ट्या का मामला बनता हुआ प्रतीत नहीं होता है और न ही सुविधा का तुला वादी के पक्ष में है। वादीगण का आवेदन खारिज होने से वादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में वादीगण का आवेदन दिनांक 07.11.2023 अंदर आदेश 39 नियम 01 वो 05 और धारा 151 व्य0प्र0सं0 पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। वाद दिनांक 08.01.2025 को वादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	